न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
GCMS NO-2023/25

मुकदमा संख्या : 25 / 2023

प्रार्थी		अप्रार्थी
प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	बनाम	1. श्री वासुदेव खत्री पुत्र श्री दिनेश कुमार खत्री उम्र 27 वर्ष निवासी 271 कृष्ण मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक)मैसर्स मॉ हिंगलाज किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी जैसलमेर 2.श्रीमति ज्योति देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी धाटी कॉलोनी जैसलमेर। मैसर्स मुस्कान ट्रेडर्स धाटी कॉलोनी जैसलमेर। 3. श्री जिगर पटेल पुत्र श्री मफतलाल पटेल उम्र 46 वर्ष मैसर्स स्वाग प्रोडक्ट प्लोट नं. 145 शिवम एस्टेट, जी.आई.डी.सी. छतराल गुजरात। 382729 मोबाईल नं 7990010832

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–
1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वासुदेव खत्री उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक: 07.06.2023

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2023 को दोपहर 01.05 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स मॉ हिंगलाज किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स मॉ हिंगलाज किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी जैसलमेर पर विक्रेता 1. श्री वासुदेव खत्री पुत्र श्री दिनेश कुमार खत्री उम्र 27 वर्ष निवासी 271 कृष्ण मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खादय अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर गाय का घी(श्री स्वागत) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात गाय का घी(श्री स्वागत) 01 लीटर के 04 पैकेट नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 1600/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा गाय का घी(श्री स्वागत) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा वास्ते परीरक्षक फॉरमलीन की 40– 40 बूंद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–1540 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–1540 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खादय पदार्थ का विवरण एन–1540 गाय का घी(श्री स्वागत) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील वन्द कर सील मोहर कर खादय विश्लेपक जोधपुर को हेमरूप रॉय कनिष्ठ सहायक के द्वारा दिनांक 27.01.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खादयविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील वन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 25.01.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/3202 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./165/Act/2023/208 दिनांक 14.02.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/एन–1475/4208–09 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा आवेदक खादयसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1.श्री वासुदेव खत्री पुत्र श्री दिनेश कुमार खत्री उम्र 27 वर्ष निवासी 271 कृष्ण मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मॉ हिंगलाज किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी जैसलमेर 2. श्रीमति ज्योति देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी धाटी कॉलोनी जैसलमेर। मैसर्स मुस्कान ट्रेडर्स धाटी कॉलोनी जैसलमेर 3. श्री जिगर पटेल पुत्र श्री मफतलाल पटेल उम्र 46 वर्ष मैसर्स स्वाग प्रोडक्ट प्लोट नं. 145 शिवम एस्टेट, जी.आई.डी.सी. छतराल गुजरात। 382729 मोबाईल नं 7990010832 ने सबस्टेण्डर्ड व मिथ्या छाप खादय पदार्थ गाय का घी(श्री स्वागत) का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादयसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 से की ओर से प्राप्त जवाव के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी 01 व 02 ने खादय पदार्थ गाय का घी(श्री स्वागत) को अप्रार्थी संख्या 03 से जिस अवस्था में खरीदा उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया था उसके द्वारा कोई हेर फेर नहीं की गयी है। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नही की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की वहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाव प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./165/Act/2023/208 दिनांक 14.02.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड व मिथ्याछाप पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

सबस्टेण्डर्ड व मिथ्याछाप स्तर के गाय का घी (श्री स्वागत) खादय पदार्थ
लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड व मिथ्याछाप स्तर के गाय का घी (श्री स्वागत) खादय पदार्थ
का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की
धारा 51 व 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी
1.श्री वासुदेव खत्री पुत्र श्री दिनेश कुमार खत्री उम्र 27 वर्ष निवासी 271 कृष्ण मार्ग गांधी कॉलोनी
जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मॉ हिंगलाज किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी जैसलमेर 2.श्रीमति
ज्योति देवी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी धाटी कॉलोनी जैसलमेर। मैसर्स मुस्कान
ट्रेडर्स धाटी कॉलोनी जैसलमेर 3. श्री जिगर पटेल पुत्र श्री मफतलाल पटेल उम्र 46 वर्ष मैसर्स
स्वाग प्रोडक्ट प्लोट नं. 145 शिवम एस्टेट, जी.आई.डी.सी. छतराल गुजरात। 382729 मोबाईल नं
7990010832 फर्म के सबस्टेण्डर्ड स्तर का गाय का घी(श्री स्वागत) खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग
के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 03 पर 5,000/- अक्षरे पांच
हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा
कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत
करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को
वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर